

मालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

29-9-24 पत्रावली पेश हुई वकूलाय
 उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार
 वास्ते... 9/24 इ. डि. किरि
 ... 8/24 इ. डि. जाग
 दिनांक... 29-9-24 को पेश हो।

21-10-24 पत्रावली पेश हुई वकूलाय
 उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार
 वास्ते... 8/24 इ. डि. किरि
 ... 8/24 इ. डि. जाग
 दिनांक... 8-10-24 को पेश हो।

8-11-24 वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी...
 प्रचार है। गतानुसार दिनांक... को पेश हो

29-11-24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी
 वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण के
 वादी व वादी वकील को बार-बार अवाज
 लगवाने जाने के बावजूद भी उपस्थित
 नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण
 के वादी व वादी वकील कामे-पलाम
 करने के कसि नहीं ले रहे हैं।
 अतः उ. नं० 30/14 दावा रमेश चंद
 धाम विनोद के अद्व. पं. व अद्व.
 कानिरी के साबित किया जाता है।
 पत्रावली केसल शुमार की जाकर
 नमूदानु से कर करते हुए दाखिल
 प्रकरण को।

